A ④

(राजस्व प्रार्थना पत्र – 018/2018 अनवान मेजरसिंह बनाम भागीरथ)

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

ीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

नवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 018/2018

1. मेजरसिंह
2. गुरदीपसिंह
3. मिलखसिंह

पुत्रान श्री फौजासिंह जाति रायसिख निवासी 4 डी बड़ी ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. भागीरथ पुत्र श्री पूर्णराम जाति नायक निवासी दुल्लापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि :–
   - 1.1 बुधराम पुत्र श्री भागीरथ जाति नायक साकिन दुल्लापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 1.2 मायली
   - 1.3 ममता

     पुत्रीयां श्री भागीरथ जाति नायक साकिन दुल्लापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 1.4 सरस्वती पत्नी श्री भागीरथ जाति नायक साकिन दुल्लापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. हंसराज पुत्र श्री भीखाराम जाति नायक निवासी 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. दीवानसिंह
4. जसवन्तसिंह

   पुत्रान श्री धर्मसिंह जाति रायसिख निवासी 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. सोमारानी पत्नी श्री हुक्मसिंह जाति रायसिख निवासी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. पूर्णसिंह पुत्र श्री कक्कासिंह जाति रायसिख निवासी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. दीपसिंह पुत्र श्री कक्कासिंह जाति रायसिख निवासी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि :–
   - 7.1 सुन्द्रसिंह
   - 7.2 सुदेशसिंह
   - 7.3 मक्खनसिंह
   - 7.4 जोगिन्द्रसिंह

     पुत्र/पुत्री श्री दीपसिंह जाति रायसिख निवासी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. कृष्णा बाई पुत्री भगवानसिंह पत्नी श्री बलवन्तसिंह जाति रायसिख निवासी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानंगर।
9. हरदित्त सिंह
10. जरनैल सिंह
11. सोहन सिंह
12. नानक सिंह
13. प्रीतम सिंह

    पुत्रान श्री महेन्द्रसिंह जाति रायसिख निवासी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. अशोकसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रायसिख साकिन 4 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:32:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

15. जगनलाल } पुत्र श्री चौथूराम जाति नायक निवासी दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला
16. औमप्रकाश } श्रीगंगानगर।

17. अशोक कुमार पुत्र श्री औमप्रकाश जाति नायक निवासी दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

18. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज — अप्रार्थी संख्या 18

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 29.06.2018

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सख्या 1 ता 17 के विरुद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से चक 4 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/26 का मुरब्बा नम्बर 40 व 41 में 8.223 नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज खातेदारी राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थीगण के परिवार का जीपन निर्वाह केवल खेती पर निर्भर है, तथा प्रार्थीगण खुद काश्त करते है प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में ही ढ़ाणियां बनाकर निवास कर रहे है।

प्रार्थीगण के उक्त रकबा में जानें के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अर्सा दराज से घरू तौर पर चल रहे रास्ता चक 4 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 11, 20, 21 की पश्चित दिशा में से चल रहे 0.026–0.026 हैक्टर रास्ता व इसके आगे मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की पश्चिम दिशा में चल रहे 0.013–0.013 हैक्टर रास्ता व इसके सामनें मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 की पूर्वी दिशा में चल रहे 0.013–0.013 हैक्टर रास्ता से होकर अपनें रकबा मुरब्बा नम्बर 40 में प्रवेश करते है। यह रास्ता पिछले 40 वर्षो से अधिक समय से चल रहा है। तथा इस रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी ढ़ाणियों में जानें का अन्य कोई रास्ता नहीं है।

उक्त वर्णित रास्ता अर्सादराज से चल रहा है तथा प्रार्थीगण के अलावा कई अन्य परिवारों की ढ़ाणियों में जानें के लिये भी सही एक मात्र रास्ता है, इस रास्ता का प्रयोग विद्यार्थियों, काश्तकारों जन सामान्य द्वारा किया जाना है। मगर उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत ना होनें के कारण [illegible] खातेदारी दर्ज होनें के कारण हमेशा विवाद बना रहता है इस रास्ता को ले[illegible] लड़ाई झगड़े व कई बार पंचायते हो चुकी है। दिनांक 29.07.2014 को [illegible] साहिब दुल्लापुरकेरी में एक पंचायत हुई [illegible] की बाबत एक राजीनामा लिखा गया था जिसकी फोटो प्रति संलग्न है एवम् अ[illegible] दीपसिंह द्वारा निष्पादित इकरारनामा की प्रति भी संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:32:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण अर्सा दराज से चल रहे उक्त रास्ता चक 4 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 11, 20, 21 की पश्चिम दिशा में से चल रहे 0.026–0.026 हैक्टर को व इससे आगे मुरब्बा नम्बर 29 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 की पश्चिमी दिशा में चल रहे 0.013–0.013 हैक्टर को व इसके सामने मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 की पूर्व दिशा में चल रहे 0.013–0.013 हैक्टर को बतौर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।

उक्त अर्सा दराज से चल रहे रास्ते का रकबा चक 4 डी बड़ी का मुरब्बा नम्बर 26 कर किला नम्बर 11, 20, 21 का रकबा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से (खाता संख्या 63/61 में) मुरब्बा नम्बर 29 का किला नम्बर 1 का रकबा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम से (खाता संख्या 19/13 में) किला नम्बर 10, 11 का रकबा अप्रार्थी संख्या 14 के नाम से (खाता संख्या 2/2 में) किला नम्बर 20 व 21 का रकबा अप्रार्थीगण संख्या 5 से 13 के नाम (खाता संख्या 65/63 में) तथा मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5 व 6 का रकबा अप्रार्थी संख्या 15 के नाम से (खाता संख्या 15/34 में) किला नम्बर 15 व 16 का रकबा अप्रार्थीगण संख्या 16 व 17 के नाम से (खाता संख्या 38/34 में) एवम् किला नम्बर 25 का रकबा अप्रार्थी संख्या 16 के नाम से (खाता संख्या 4/34 में) दर्ज कागजात माल है जमाबन्दीयों की प्रतियां संलग्न है।

प्रार्थीगण के रकबा व ढ़ाणियों में जानें के लिये यही सबसे निकटतम एवम् लघुतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है प्रार्थीगण को रास्ता की आत्यंतिक आवश्यक्ता है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से इस रास्ता को स्वीकृत करवानें के लिये कई बार कहा गया है मगर पहले तो वह टाट मटोल करते रहे, मगर अब 2 दिन पूर्व उन्होनें साफ इन्कार कर दिया है तथा उसने प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकी दी है, कि हम तो इस रास्ता को बन्द करेगें, यदि अप्रार्थीगण नें उक्त एक मात्र अर्सा दराज से चल रहा घरू रास्ता बन्द कर दिया तो प्रार्थीगण को खेतों व ढ़ाणियों में आनें जानें के लिये कोई मार्ग नहीं बचेगा इसलिये प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की प्राप्त करना चाहते है, कि अप्रार्थीगण उक्त रास्ता जो अर्सा दराज से चल रहा है को बन्द करनें से निषेद्ध रहे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थीगण को उनके रकबा व ढ़ाणियों में आनें जानें के लिये अर्सा दराज से घरू तौर पर चल रहे रास्ता चक 4 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 11, 20, 21 की पश्चिम दिशा में से चल रहे 0.026–0.026 हैक्टर को व इससे आगे मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की पश्चिमी दिशा में चल रहे 0.013–0.013 हैक्टर को व इसके सामने मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 की पूर्व दिशा में चल रहे 0.013–0.013 हैक्टर को बतौर रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विक्लप नहीं है। इस मुरब्बे में पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:32:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण संख्या 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अर्न्तगत कथन किया गया कि प्रार्थीगण के रकबा व ढ़ाणियों में जानें के लिये यही सबसे निकटतम एवम् लघुतम रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, इसलिये रास्ता स्वीकार किया जावे तो अप्रार्थी किसी प्रकार से मुआवजा की मांग नहीं करेगें।

न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 के अन्तर्गत दिनांक 29.06.2018 को ग्राम पंचायत दुल्लापुरकेरी में आयोजित राजस्व लोक अदालत के द्वौरान प्रकरण में चाहे गये रास्ते का उभयपक्ष की उपस्थिति में भौतिक निरीक्षण किया दौरानें निरीक्षण पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालु है, जो अर्सा दराज से चल रहा है।

उत रास्ते से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनें अपनें खेतों में बनी हुई ढ़ाणियों में आनें जानें हेतु तथा कृषि कार्य के लिये सार्वजनिक रूप ये आवागमन कर रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 11, 20, 21 की पश्चिम दिशा में से चल रहे 0.026–0.026 हैक्टर को व इससे आगे मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की पश्चिमी दिशा में चल रहे 0.013–0.013 हैक्टर को व इसके सामनें मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 की पूर्व दिशा में चल रहे 0.013–0.013 हैक्टर भूमि में अर्सा दराज से चल रहे रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है।

गैर मुमकिन रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु रहेगा। चुँकि उक्त रास्ता अर्सा दराज से चल रहा है जिसको उभयपक्ष संयुक्त रूप से उपयोग/उपभोग करते आ रहे है इसलिये किसी भी पक्षकारान को किसी भी प्रकार से कोई मुआवजा देय नहीं है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 29.06.2018 को लिखाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दुल्लापुरकेरी में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:32:54 IST
Reason: SelfAttested

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner